साहिबाबाद के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, 53 ट्रेनें प्रभावित; 24 के मार्ग बदले गए

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 21 जुलाई।

नयी दिल्ली-गाजियाबाद वाले रेल खंड पर मंगलवार तड़के कोयले से लदी एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण 50 से अधिक यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई और 24 ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं।

हालांकि, इस घटना में किसी के भी घायल अथवा हताहत होने की खबर नहीं है। तड़के लगभग 2:36 बजे साहिबाबाद क्षेत्र में घटी इस घटना से रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। उच्च अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, पटरियों पर फैले कोयले को हटाने और ट्रैक की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। इस हादसे के कारण रेल सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा है और कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। स्थिति को संभालने के लिए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया। लंबी दूरी की गाड़ियों को नई दिल्ली, सदर बाजार और पुरानी दिल्ली-शाहदरा के वैकल्पिक मार्गों से रवाना किया गया है। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली व नई दिल्ली मार्ग की 24 ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं।

16 यात्री ट्रेनों को पूरी तरह और पांच को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा।

जलभराव पर प्राधिकरण सख्त, तीन सुपरवाइजरों की सेवाएं समाप्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 21 जुलाई।

औद्योगिक महानगर में साफ-सफाई और जलभराव की शिकायतों पर लचर रवैये के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जिसके कारण तीन सुपरवाइजरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

सात ही तीन प्रबंधक और पांच अवर अभियंताओं का एक महीने का वेतन स्थायी रूप से काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह के निर्देश पर की गई है। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर ने बताया कि सीईओ कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों को 15 जुलाई तक शहर के सभी नालों की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब भी करीब तीस फीसद नालों की सफाई अधूरी है। साथ ही शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर और खराब सफाई व्यवस्था की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

सघन निगरानी के लिए दो प्रभारी तैनात

प्राधिकरण ने शहर में जलभराव और सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए दो प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ओएसडी इंदु प्रकाश को वर्क सर्किल-1 से 5 और महाप्रबंधक जन स्वास्थ्य आरएस यादव को वर्क सर्किल-6 से 10 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारी प्रत्येक सर्किल में सफाई और नालों की स्थिति का निरीक्षण कर अपनी रपट सीधे सीईओ को सौंपेंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों से कचरा उठना हुआ शुरू

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 21 जुलाई।

ग्रेनो के उद्योग विहार एक्सटेंशन, इकोटेक-2 में एक-एक इकाई से कचरा उठना शुरू हो गया है। इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन की मांग पर एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने मंगलवार से कचरा उठाना शुरू करा दिया है।

यहां के उद्यमी लंबे समय इसकी मांग कर रहे थे। सीईओ के निर्देश पर उद्योग विहार एक्सटेंशन, इकोटेक-2 में हर इकाई के दरवाजे से कचरा उठाना शुरू किया गया है। इससे पहले ईकोटेक-3 में यह काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।

इसके साथ प्राधिकरण की टीम ने उद्योग विहार एक्सटेंशन, इकोटेक-2 का निरीक्षण भी किया। टीम ने सफाई, कूड़ा निस्तारण, जल निकासी आदि कार्य एक सप्ताह में कराने का आश्वासन दिया।

प्राधिकरण की तरफ से सड़क एवं अतिक्रमण संबंधी कार्य, पौधरोपण एवं हरित पट्टी का विकास, स्ट्रीट लाइट, श्रमिक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक शौचालय आदि आवश्यक सुविधाएं विकसित करने और उद्योग विहार एक्सटेंशन को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। ग्रेनो के रिहायशी सेक्टरों की समस्या हल करने के लिए प्राधिकरण की टीम विभिन्न सेक्टरों में जाएगी और निवासियों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता पर हल कराएगी। मंगलवार से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले दिन प्राधिकरण की टीम सेक्टर अल्फा वन में पहुंची।

सरिया से लदा वाहन नाले में गिरा, चालक की मौत

ग्रेटर नोएडा, 21 जुलाई (संवाददाता)।

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की जान चली गई। दादरी से गाजियाबाद जा रहा सरिया लदा ट्राला छपरौला के पास अनियंत्रित होकर गहरे नाले में पलट गया और ट्रांसफार्मर से टकरा गया। पुलिस ने गैस कटर और क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना पाते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और राहत कार्य शुरू किया। चालक को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्रेन और गैस कटर के सहारे लगभग दो घंटे तक चले जटिल रेस्क्यू आपरेशन के बाद केबिन के हिस्सों को काटकर चालक को बाहर निकाला जा सका।

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क
पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

दूरभाष : 011-40591567 (एक्स. 231)
ई-मेल : delhiarm@ktk.bank.in
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

1. मैसर्स मुकेश वर्मा एचयूएफ,
जिसका प्रतिनिधित्व इसके कर्ता, श्री मुकेश वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा द्वारा
पताः जी-28/85, पॉकेट जी-28, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.
2. श्री मुकेश वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा
पताः जी-28/85, पॉकेट जी-28, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.
3. श्रीमती मधु वर्मा पत्नी श्री मुकेश वर्मा
पताः जी-28/85, पॉकेट जी-28, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.

श्रीमान/महोदया,
सावधि **ऋण खाता सं. 5547001600021601** दिनांक 26.03.2015 **रु.** 11,75,000.00 के लिए, **आप नंबर 1] मैसर्स मुकेश वर्मा एचयूएफ, इसके कर्ता श्री मुकेश वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व, आप नंबर 2] श्री मुकेश वर्मा तथा आप नंबर 3] श्रीमती मधु वर्मा** निम्नलिखित ऋण सुविधा के संबंध में संयुक्त कर्जदार हैं **जिन्होंने नई दिल्ली-पश्चिम विहार शाखा से सुविधाएं प्राप्त कीं जिसे** 24.06.2026 को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 08.07.2026 को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) एवं (3) के तहत एक विस्तृत मांग नोटिस जारी करके सरफेसी अधिनियम के तहत संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। उपर्युक्त पतों पर पावती के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया कथित मांग नोटिस बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है। इसलिए, हमने सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस नोटिस के माध्यम से मांग सूचना की सामग्री प्रकाशित की है। 08.07.2026 को शेष राशि रुपये **रु. 8,36,195.22 (रुपये आठ लाख छत्तीस हजार एक सौ पिचानबे और बाईस पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या 5547001600021601 के तहत** 26.02.2026 से **9.95% की दर** से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ भावी ब्याज का आपको इस पत्र के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

चल तथा अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण
आवासीय सम्पूर्ण निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नं. 309, ब्लॉक-जी, पॉकेट-26, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली, मैसर्स मुकेश वर्मा एचयूएफ, इसके कर्ता **श्री मुकेश द्वारा प्रतिनिधित्व, से सम्बन्धित।**
कृपया ध्यान दें कि मैं, प्रतिभूत लेनदार बैंक का अधिकृत अधिकारी, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने तक (या उससे पहले) आपके दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में, उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने का इरादा रखता हूँ।

स्थानः नई दिल्ली — हस्ता/-कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिए,
दिनांकः 21.07.2026 — मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडियाः साकेत शाखा
Bank of India Relationships beyond banking

वाईडब्ल्यूए हॉस्टल बिल्डिंग, 21-एवेन्यू साकेत, नई दिल्ली-110017
फोनः 011-26564130
ई-मेलः Saket.NewDelhi@bankofindia.bank.in

सेवा में,
1. श्री नरेश कुमार
बी -27, एडवोकेट कॉलोनी,
सेक्टर पी , ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201001
यहाँ भीः प्लॉट नंबर-9, सेक्टर/गाँव – बोडाकी एक्सटेंशन,
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201001
(उधारकर्ता)
2. शीला देवी
प्लॉट नंबर-9, सेक्टर/गाँव – बोडाकी एक्सटेंशन,
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201001
महोदया,
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत नोटिस
आपके अनुरोध पर, बैंक ने आपको कुल रु.40,00,000/- की विभिन्न ऋण सुविधाएँ दी हैं। हम हमारे द्वारा दी गई विभिन्न ऋण सुविधाओं और उसके अंतर्गत इस सूचना की तिथि तक बकाया राशि का विवरण नीचे दे रहे हैं:-

सुविधा की प्रकृति	स्वीकृत सीमा रू.	बकाया राशि रू.
(क) आवास ऋण	रू. 40,00,000/-	रू.38,69,044.43 + रू.97,962/- का यूआरआई + बिना चार्ज किया गया ब्याज

2. बैंक द्वारा दी गई उपरोक्त ऋण सुविधाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों (बैंक को प्रभारित संपत्तियों/परिसंपत्तियों का विवरण) द्वारा सुरक्षित हैं:-
सुश्री शीला देवी की मालिकाना हक वाली प्लॉट नंबर 9, सेक्टर/गाँव- बोडाकी एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201001 में स्थित आवासीय संपत्ति का ईक्यूएम।
3. चूंकि आप उक्त उधार सुविधाओं के तहत बैंक को उसकी बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं अतएव हमने आपके खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में 21.06.2026 से प्रभावी अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
4. उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए, हम एतद्द्वारा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचित करते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों की एकावधि के अंदर आपके द्वारा किए प्रतिभुगतान तक, बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों व व्ययों और मासिक शेषों के साथ **रु. 38,69,044.43 + रु.97,962 का यूआरआई + बिना चार्ज किया गया** ब्याज (नोटिस की तारीख तक का अनुबंध के अनुसार बकाया), जिस पर आगे 10.10 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज (मासिक आधार पर कंपाउंडिंग के साथ) का भुगतान करके अपने भुगतान-दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने को कहते हैं। ऐसा न होने पर कृपया ध्यान दें कि हम पूरी तरह से आपके जोखिम पर, लागत और परिणाम के रूप में, ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
5. जब हम आपको, ऊपर वर्णित अवधि के अंदर, उपरोक्तानुसार प्रतिभुगतान होने तक बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों व व्ययों और लागू ब्याज के साथ बैंक को देय-भुगतेय संपूर्ण देयराशियों का भुगतान करके अपने भुगतान-दायित्व का निर्वहन करने और प्रतिभूत परिसंपत्तियों का मोचन करने को कहते हैं, तो कृपया इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि इसका तात्पर्य सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन का अधिकार आपको केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से उद्धरण या निविदा आमंत्रित करने की तिथि तक ही उपलब्ध होगा।
6. ऊपर वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने से प्राप्त हुई राशि सर्वप्रथम का अनुप्रयुक्तिकरण हमारे द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों तथा/अथवा उनसे संबंधित किसी आकस्मिक व्यय के लिए होगा, और द्वितीय रूप में इस सूचना की तिथि से लेकर के वास्तविक वसूली की तिथि तक संविदात्मक ब्याज के साथ उपरोक्तानुसार बैंक की देयराशियों के लिए होगा, और बैंक की संपूर्ण देयराशियों (उधारकर्ता अथवा गारंटर के रूप में बैंक हेतु देय-भुगतेय आपके किसी अन्य देय के अंतर्गत सम्मिलित) की पूर्ण वसूली होने के उपरांत निकलनेवाली रकम की शेष राशि, यदि कोई, का भुगतान आपको कर दिया जाएगा।
7. यदि उक्त देयराशियों की, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त शक्तियों के प्रयोग की अवधि में वसूली गई प्राप्तियों से, पूरी तरह वसूली नहीं की जाती है, तो हमारे पास आपके और आपकी अन्य परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें ऋण वसूली अधिकरण/न्यायालयों के सम्मुख विधिक/वसूली की कार्रवाइयां दर्ज करना सम्मिलित होगा, जो कि आपसे समस्त लागतों इत्यादि और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय के साथ शेष बकाया राशि की वसूली के लिए किया जाएगा।
8. कृपया ध्यान दें कि, इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत, उपर्युक्त अधिनियम की उप-धारा (13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त परिसंपत्तियों को विक्रय, पट्टा, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, उपहार, बंधक के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने या उन पर कोई भारग्रस्तता सृजित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
9. अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वो इस सूचना को निर्गत करने और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बैंक के एक विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं।
10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के बिना संबोधित है।

स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 22.06.2026 — **बैंक ऑफ इंडिया**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15/2818, कांठ रोड, हरथला, मुरादाबाद-244001

अनुसूची 6 [नियम - 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हरथला शाखा के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.04.2026 को एक मांग सूचना जारी की, जिसमें उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं (नाम): श्री निपेंद्र सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह, श्रीमती मीनाक्षी धाका पत्नी निपेंद्र सिंह, जिनका खाता हरथला शाखा में है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संविदात्मक दर पर ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित सूचना में उल्लिखित राशि रुपये 7,17,602.55/- (रुपये सात लाख सत्रह हजार छह सौ दो और पचपन पैसे मात्र) का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
उधारकर्ता/गारंटर द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटर एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, इस 21 जुलाई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में रुपये 7,17,602.55/- (रुपये सात लाख सत्रह हजार छह सौ दो और पचपन पैसे मात्र). 02.04.2026 से उस पर लगने वाले ब्याज एवं अन्य शुल्कों के भार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूति परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रावधान हैं।

अचल संपत्ति का विवरण-
खसरा संख्या 42 मि. में स्थित आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 67.01 वर्ग मीटर है, मौ उत्तर (मिलक मौ), थाना सिविल लाइंस, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, यूपी 244001 में स्थित है, जो मीनाक्षी धाका पत्नी निपेंद्र सिंह के नाम पर है।
सीमाएं निम्नानुसार हैं:- पूर्व – 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम – विक्रेता की भूमि, उत्तर – भोजराज का प्लॉट, दक्षिण – अमित का प्लॉट **CERSAI ID: Security ID: 400007591321; Asset ID: 200007581931**

दिनांकः 21-07-2026 — **अधिकृत अधिकारी**
स्थानः मुरादाबाद — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

केनरा बैंक Canara Bank
वसूली अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, वर्धमान ट्रेड सेंटर, नेहरू प्लेस, दिल्ली- 110019
rosdelrec@canarabank.com

REF: CB/6971/GL/AUCTION/03/2026-27 — दिनांकः 20-07-2026
लाडो सराय शाखा
नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अनेक नोटिस दिए जाने के बावजूद ऋण खातों में बकाया देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे 24-07-2026 तक समस्त बकाया देयता एवं अन्य प्रभारों का भुगतान कर गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मोचन करा लें। अन्यथा, उक्त प्रतिभूतियों को बैंक की प्रक्रिया के अनुसार, उधारकर्ता के खर्चे पर, बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। उक्त नीलामी **24-07-2026** को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वर्ण आभूषणों की नीलामी "जैसी है जहाँ है के आधार पर", "जो कुछ उपलब्ध है उसी आधार पर" तथा "बिना किसी प्रत्यावर्तन दायित्व के आधार पर" सख्ती से की जाएगी। स्वर्ण आभूषणों का निरीक्षण बैंक अधिकारी से पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर **23-07-2026** को प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु सुश्री सौम्या चक्सा, प्रबंधक, मोबाइल नं. 8787469762 से संपर्क किया जा सकता है। अग्रिम जमा राशि **रू.25,000.00** का भुगतान **23.07.2026 शाम 5:00 बजे** तक किया जाना है।
खाता संख्या : 209272434 एवं आईएफएससी कोड : CNRB0005422

क्र. सं.	ऋण की तिथि	ऋण संख्या	कर्जदार का नाम एवं पता	देनदारी (रु.)
1	28-01-2025	164053402128	विकास सी/ओ सुरेंद्र, मकान नंबर 132 बाल्मीकि चौपाल के पास पो मैदान गढ़ी जिला दक्षिण दिल्ली दिल्ली 110068	₹ 61,459.00 + ब्याज

वरिष्ठ प्रबंधक, वसूली एवं कानूनी अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण दिल्ली

केन फिन होम्स लिमिटेड
Can Fin Homes Ltd (Sponsor : CANARA BANK) HOME LOANS • DEPOSITS
CIN : L85110KA1987PLC008699,
केनरा बैंक बिल्डिंग के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं, सी-3, सेक्टर-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 201301
ई-मेल : noida@canfinhomes.com,
फोन न. : 0120 – 2970164/65/67, 7625079126

कब्जा सूचना [(नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 13.05.2026** जारी की थी जिसमें कर्जदारों **स्वर्गीय डिल्ला देवी (उधारकर्ता) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी और श्री रविंदर सिंह, पुत्र श्री सुंदर सिंह रावत (सह-उधारकर्ता) एव श्री गोविंद सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह (गारंटर)** से सूचना में वर्णित बकाया राशि **रू0 91,02,460/- (इक्यानवे लाख दो हजार चार सौ साठ)** तथा वसूली की तिथि तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **21.07.2026** को ले लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार सीएचएफएल की बकाया राशि **रू. 91,02,460/- (इक्यानवे लाख दो हजार चार सौ साठ) ब्याज सहित।**

अचल सम्पत्ति का विवरण
प्लॉट नंबर-59, ब्लॉक-क्यू, क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर, सेक्टर-12, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यू0पी0-201301, उत्तर में: सड़क, पूर्व में: मकान नंबर-58, पश्चिम में: मकान नंबर-60, दक्षिण में: मकान नंबर-42

तिथि : 21.07.2026 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा — केन फिन होम्स लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
पक्का बाग शाखा,
स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़,
जिला हापुड़ (यूपी)
ईमेल – -puccab@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत)
जबकि, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06-11-2025 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें **उधारकर्ता श्री पुष्पेंद्र अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय मूल चंद अग्रवाल, श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री पुष्पेंद्र अग्रवाल और श्रीमती कुमुद अग्रवाल पत्नी श्री पुष्पेंद्र अग्रवाल तथा गारंटर श्री अखिल अग्रवाल से नोटिस में उल्लिखित राशि रू.6,06,015.00 (छह लाख छह हजार पंद्रह रुपये मात्र) के साथ-साथ 03-07-2025 से लागू न किया गया और भुगतान** न किया गया ब्याज एवं अन्य खर्च उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था।
चूँकि उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 और उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज वर्ष 2026 के जुलाई महीने के 20वें दिन **20 जुलाई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन बैंक ऑफ बड़ौदा के रू. **6,06,015.00 (छह लाख छह हजार पंद्रह रुपये मात्र) के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें 03-07-2025 से लागू न किया गया और भुगतान न किया गया ब्याज तथा अन्य खर्च** शामिल है।
सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
भूमि / प्लॉट का समन्यायी बंधक, प्लॉट संख्या C-163 का भाग, जो कि अपना घर कॉलोनी, दिल्ली रोड, हापुड़ में स्थित है तथा नगर पालिका, हापुड़, जिला हापुड़ की स्थानीय सीमा के अंतर्गत आता है, जिसकी माप पूर्व : 24'-9.5'', पश्चिम: 24'-4'', उत्तर: 29'-7'', दक्षिण: 32'-7'', कुल क्षेत्रफल 83.93 वर्ग गज (70.20 वर्ग मीटर) है, जो कि संयुक्त रूप से (i) श्रीमती कुमुद अग्रवाल (पत्नी श्री पुष्पेंद्र अग्रवाल) और (ii) श्री पुष्पेंद्र अग्रवाल (पुत्र स्वर्गीय मूल चंद अग्रवाल) के स्वामित्व में है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है:-
पूर्व : प्लॉट संख्या C-162. **पश्चिम:** 9.00 मीटर चौड़ी सड़क.
उत्तर: 9.00 मीटर चौड़ी सड़क. **दक्षिण:** प्लॉट संख्या C-163 का शेष भाग.

दिनांकः 20.07.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः हापुड़ — **बैंक ऑफ बड़ौदा**

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
शालीमार बाग ब्रांच,
BH-29, ईस्ट शालीमार बाग,
दिल्ली 110088
ईमेल – shadel@bankofbaroda.bank.in

कब्जा सूचना
(अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जबकि,
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **02-05-2026** को एक मांग नोटिस जारी किया था। इसके माध्यम से उधारकर्ता **मैसर्स युविराराध्य प्रोजेक्ट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से नोटिस में उल्लिखित राशि रू.93,68,818.74/- (तिरानवे लाख अड़सठ हजार आठ सौ अठारह रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) (जो कि दिनांक 28-02-2026 तक की स्थिति के अनुसार है)** के साथ अनुबंध दर पर आगे का ब्याज, लागत, प्रभार और भुगतान की तिथि तक के खर्चों का भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान किया गया था।
चूँकि उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज वर्ष 2026 के जुलाई महीने के 17वें दिन **17 जुलाई, 2026 को** नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेनदेन न करें तथा संपत्ति/संपत्तियों के साथ किया गया कोई भी लेनदेन बैंक ऑफ बड़ौदा के **रू.93,68,818.74/- (तिरानवे लाख अड़सठ हजार आठ सौ अठारह रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) 28-02-2026 तक की स्थिति के अनुसार** के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें अनुबंध दर पर आगे का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक के लागत, प्